Police realise ₹6.64 lakh fine from defaulters since Oct 2017

Since October last year till date, the UT Police registered 1,638 cases under Section 68(1) B, Punjab Police Act, 2007 for consuming liquor at public places.

CONSUMING LIQUOR AT PUBLIC PLACES

Police conduct inspection in connection with drunken driving in Chandigarh on Tuesday. DP

DP **CORRESPONDENT**
Chandigarh

Under a special drive against consuming liquor at public places in the city, the UT Police registered 1,638 cases under Section 68(1)B of the Punjab Police Act, 2007, in which 1,687 persons were apprehended for consuming liquor at public places between October last year till May 7 this year.

As per the data, out of 1,638 cases, 1,199 have been put in court for trial and in which 876 persons have been convicted and a total fine of Rs 6,64,180 has been collected.

This drive of the Chandigarh Police restrains drunken driving and road rage as well as petty crimes in the city. It is also discouraging social crimes such as hooliganism, brawl, spontaneous quarrels which sometimes lead to serious offences. It is pertinent to mention here that this drive was initiated with the special concern of safety and security of women against eve-teasing, chasing or stalking, etc.

Special focus in Sectors 8, 9, 10

Under the drive against consuming liquor at public places, the police are having special emphasis on putting up nakas in different parts of the city, especially at Sectors 8, 9 and 10. A special checking has been initiated for 20 days in the market areas of these sectors which are under surveillance to keep a check on drinking of liquor at public places and in cars. Last week, 25 cases were registered and 27 persons apprehended from Kaimbwala, Sectors 9, 9, 10, 4, 1 and 2, and Sukhna Lake during this special checking.

Daily Post Dt:09-05-2018

'876 convicted of drinking in public since Oct last yr'

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, MAY 8

A TOTAL of 1,687 people were arrested for drinking alcohol at public places and 876 out of 1,687 were convicted under Section 68-1 (B) of Punjab Police Act, 2007 and Section 510 of IPC between October, 2017 to May 7, 2018. Accused were convicted by the trial courts at district courts, Sector 43 and courts recovered Rs 6,64,180 fine from the convicts.

Since October, 2017, Chandigarh police stopped arresting the people for drinking alcohol at public places under Excise Act and instead arrested them under Section 68-1 (B) of Punjab Police Act, 2007 and Section 510 of IPC.

SSP (UT) Nilambri Vijay Jagdal said, "The remaining 811 accused out of 1,687 are still under trial in different courts. Fine of Rs 6,64,180 was recovered by the different courts from the convicts. The motive behind initiated strict drives against the drinking at public places is to curb lawlessness, drunken brawls, drunken driving, road rage under the influence of alcohol in Chandigarh. There are some specific locations including the inner markets of Sector 8, 9, 10, near Kaimbwala, from where complaints were received of drinking at public places. We have launched strict drives against the people, those drink on public places." The highest number of convictions were secured by the police personnel of Sector 31 police station, who arrested 178 people and 131 out of 178 were convicted. Earlier, police used to arrest the people under Section 68/1/14 of Excise Act. However, the practice was stopped following the orders of Punjab and Haryana High Court, which found that a police officer cannot arrest a man under Excise Act and the powers of using the Excise Act is only lying with excise department officers. The orders were passed during the quashing of an FIR registered against Punjab police DSP Raka Gira for possessing liquor bottles at her house without the valid permission by Justice AB Chaudhari on July 31.

Section 68-1 (B) of Punjab Police Act reads a person being found intoxicated and riotous on any public place be liable to imprisonment for a term, not exceeding one month or with fine of not less than one thousand rupees or with both.

PU: Hostel deadline for girls now 11 pm

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, MAY 8

PANJAB UNIVERSITY (PU) has finally decided to implement new timings for girls' hostels with immediate effect from this session. Recommended during the Pinjra Tod campaign by the student council and demonstrations by different student organisations last month, female hostellers will now be able to stay out till 11 pm instead of 9 pm.

The university has issued a notice to this effect, approved by Emanual Nahar, Dean of Student Welfare (DSW). According to the notice, 10 late entries will be allowed till 11.30 pm and 24-hour entry has been granted to PhD/LLM/MPhil students.

On Tuesday, Vani Sood, Secretary, Panjab University Campus Students' Council (PUCSC), met the DSW to implement the recommendations.

"I am thankful to the authorities for cooperating with us. This is a step in the positive direction," said Sood, adding that the suggested late entry fee of Rs 100, however, could not be approved because such decisions will have to be discussed by the Syndicate and the Senate.

Earlier, women's hostels on the campus did not allow residents to step out after 9 pm. Also, residents could enter the hostels by 10 pm without a fine. Entry between 10 pm and 10.30 pm attracted a fine of Rs 200 with students allowed only six such instances. The fine after 10.30 pm was Rs 250.

The 'Pinjra Tod' campaign took off on the campus on April 2.

हकीकत अक्टूबर 2017 से 7 मई 2018 तक 1635 केस दर्ज, 1687 गिरफ्तार

पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वालों की शामत

आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। शहर में पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वालों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस समय-समय पर स्पेशल अभियान चलाती है। पुलिस ने अक्टूबर 2017 से 7 मई 2018 तक शहर के अलग-अलग थानों में कुल 1638 केस दर्ज कर 1687 लोगों को काबू किया। इन 1638 केसों में 1199 मामलों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसमें से 876 लोगों को अब तक दोषी करार देते हुए उनसे 6 लाख 64 हजार 180 रुपए की राशि अदालत ने जुर्माने के तौर पर जमा कराई है। पुलिस की ओर से चलाई जा रही इस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य ड्रंक एंड ड्राइविंग, रोड रेज और अपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना है। नशे के दौरान अधिकतर होने वाली बहस लड़ाई-झगड़े का रूप लेते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे जाती है। इसके साथ ही ड्राइव के चलते मार्केट में जाने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करना और उनका रास्ता रोकने की वारदातें सामने आती रहती है। पुलिस की ओर से सेक्टर-8, 9 और 10 में बीते 20 दिनों से खास तौर पर नाके लगाए जा रहे हैं। इसमें आने जाने वाले वाहनों के साथ मार्केट और आस-पास सड़क के किनारे शराब पीने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस तरह बीते सप्ताह पुलिस ने 25 केस दर्ज किए। इनमें सेक्टर-9,8,10,4 कैचवाला से 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटती सेक्टर-3 पुलिस स्टेशन की ओर से एसएचओ पुनम दिलावर।

अब तक इनपर हुई कार्रवाई

थाना	गिरफ्तार	आरोपी	जुर्माना
3	69	14	4400
11	130	95	34900
17	101	65	50000
19	118	86	80400
26	81	12	12000
31	178	131	132230
34	54	32	28800
36	124	78	39000
39	109	80	64000
49	41	19	19000
मलोया	85	16	15000
सारंगपुर	111	67	33500
मनीमाजरा	148	95	95950
इंडस्ट्रियल एरिया	110	24	5200
मौलीजागरा	120	19	22200
आईटी पार्क	108	43	27600
कुल	1687	876	664180

Aaj Samaj Dt: 09/05/2018

डीजीपी के दिशा-निर्देशों के बाद गायब हुए अपराधी

- एसएसपी ने भगोड़ों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए चलाई मुहिम
- रोजाना लग रहे एंटी स्नैचिंग नाके, रात में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर शिकंजा
- एसएचओ के बदलने के बाद पिछले एक हफ्ते में नहीं हुई एक भी स्नैचिंग व लूट

वाहनों की चेकिंग करती पुलिस। जगमार्ग

संदीप खत्री

चंडीगढ़। शहर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा चलाई गई तीन ड्राइव पर जमकर काम हो रहा है। रोजाना एंटी स्नैचिंग नाके लगाए जा रहे हैं और रात के समय सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पियक्कड़ों पर शिकंजा कसा गया है।

इसके अलावा पुलिस के आलाअधिकारियों ने शहर की पुलिस को कोर्ट से भगोड़े हो चुके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए हैं। चूंकि इन आरोपियों की क्राइम में शामिल होने की आशंका है। लूट, डकैती व स्नैचिंग के मामलें भगोड़े हो चुके कई आरोपियों को पुलिस ने गिर तार भी कर लिया है।

अकसर युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शराब के नशे में मिलते हैं। मारपीट के मामलों में कई लोग शराब के नशे में होते हैं। सड़क हादसों की घटनाओं में भी वाहन चालकों को शराब के नशे में देखा जाता है। इसी को देखते हुए डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा ने यह ड्राइव चलाने का फैसला किया था। जिसके बाद खुद एसएसपी निलांबरी ने डीजीपी के दिशा-निर्देशों पर गंभीरता से काम किया। जिसके सक्रात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पुलिस द्वारा शहर में की गई सख्ती और एसएचओ के बदलने के बाद क्राइम में काफी कमी आई है।

पुलिस का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में एक भी स्नैचिंग व लूट की वारदात नहीं हुई है। इसी के चलते इन दिनों तीनों ड्राइव पर जमकर काम किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 1687 लोग गिरफ्तार

अक्तूबर 2017 से इस साल अब तक पुलिस सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 1687 लोगों को गिर तार कर चुकी है। जिसमें से 1199 केस कोर्ट पहुंचे और 876 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने इन लोगों पर कुल 6 लाख 64 हजार 180 रुपये का जुर्माना लगाया।

एसएसपी ने सभी थाना पुलिस को दिए सख्त आदेश

एसएसपी निलांबरी जगदले ने शहर की पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले और गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वाले पियक्कड़ों पर पैनी नजर रखें, ताकि शराब के नशे में कोई व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम न दे सके। इसके अलावा एसएसपी ने आदेश दिए हैं कि सभी थानों की पुलिस अपने-अपने इलाके में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पैनी नजर रखेगी, संदिग्ध वाहनों की चैकिंग करेगी। एसएसपी ने खासतौर पर कोर्ट से भगोड़े हो चुके आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए हैं।

आवारागर्दी करने वाले युवकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

थाना पुलिस सेक्टर-3 ने मंगलवार को सेक्टर-8 स्थित डीएवी स्कूल और सरकारी स्कूल के पास उन युवकों के चालान काटे, जो बिना हेलमेट आवारागर्दी करते स्कूल के आस-पास घूम रहे थे। इसके अलावा सेक्टर-10/11 स्थित गेड़ी रूट पर गेड़ियां लगाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले युवकों के चालान किए गए। थाने 3 की एसएचओ पूनम दिलावरी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार दो दिन में लगभग पांच सौ वाहनों को चैक किया गया। इनमें से 34 लोगों के चालान किए गए। जिसमें से पांच वाहन जब्त किए गए।

शहर में रोजाना एंटी स्नैचिंग नाके लगाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई की जा रही है। इन ड्राइव के पीछे मकसद है कि यह यह लोग शराब के नशे में युवतियों से छेड़छाड़, किसी के साथ मारपीट व अन्य घटना को अंजाम न दे सकें और कोई बेकसूर शराब पीकर सड़क हादसे का शिकार न हो सके। शहर के स्कूल व कॉलेज के बाहर सख्ती कर दी गई है। कोर्ट से पीओ हो चुके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। कई पीओ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

निलांबरी विजय जगदले, एसएसपी।